प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र /.......................

	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० रिपोर्ट TDR अप्राप्त। पुनः लिखा जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट TDR दि 29/1/24 को पेश हो।	
29/1/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० रिपोर्ट TDR प्राप्त। शा० फा० की गई। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 13/2/24 को पेश हो।	
13/2/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री हरबिन्दर डी सिंह R.A.S

नसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
69/प्रा0पत्र/2022	22.04.2022	13.02.2024
(ऑन लाईन नम्बर 2022/69)		

श्री उमाशंकर आ0 श्री जमनाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरिया कलॉ तहसील तालेडा जिला बून्दी .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री उच्छबलाल आ0 श्री गोरधन जाट जाति जाट निवासी ग्राम जलौदी तहसील तालेडा
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थियाः— श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थीः— श्री रामरतन सुमन

— : : निर्णय : : —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 136 भू—राजस्व अधिनियम

प्रा0पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत 2069—72 के अनुसार वाके ग्राम जलौदी तहसील तालेडा की कृषि भूमि ख0सं0 662 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा(3.1970 हैक्टे.), ख0सं0 709 रकबा 1 बीघा(0.1619 हैक्टे.) स्थित है। उक्त जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी सं. 1 का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा निहित था। प्रार्थी ने दिनांक 5.7.2012 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से अप्रार्थी सं0 1 से प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि में से अर्थात ख0सं0 662 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा में निहित अपना हिस्सा 1/2 यानि हिस्सा 197/395 में से 10/197 व सम्पूर्ण में से 10/395 हिस्सा तथा ख0सं0 709 रकबा 1 बीघा में निहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 खरीद किया था। अर्थात ख0सं0 662 में से प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 से 10 बिस्वा भूमि एवं ख0सं0 709 में से 10 बिस्वा भूमि खरीद की थी। रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनाक 05.07.2012 के आधार पर तहसीलदार तालेडा के द्वारा नामान्तकरण सं. 973 दिनाक 30.05.2013 प्रार्थी के हम में तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तकरण में रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर प्रार्थी का हिस्सा दर्ज नही किया गया। बल्कि उपरोक्त दोनो खसरा नम्बरान् में संयुक्त रूप से प्रार्थी का हिस्सा 4/83 दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार रजिस्टर्ड विकय पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज नही कर नामान्तकरण में हिस्से की अवैध प्रविष्टि की गई। प्रार्थी दोनो खसरा नम्बरान् में रजिस्टर्ड विकय पत्र के अनुसार 10—10 बिस्वा हिस्सा दर्ज करवाकर इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इस बाबत तहसीलदार तालेडा से निवेदन करने पर इनकार कर दिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे कि ख0सं0 662 रकबा 3.1970 हैक्टे. एवं ख0सं0 709 रकबा 0.1619 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 3.3589 हैक्टे0 जो वाके ग्राम जलोदी तहसील तालेडा में विस्थित है उक्त दोनो खसरा नम्बरान् पर प्रार्थी का हिस्सा पृथक— पृथक रूप से विकय पत्र दिनाक 5.7.2012 के अनुसार 10 —10 बिस्वा दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार कर इन्द्राज दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विकय पत्र दिनांक 5.7.2012 से ग्राम जलोदी के ख0सं0 662 रकबा 19.15 बीघा में सम्पूर्ण हिस्से में से 10/395 हिस्सा उच्छबलाल आ0 गोरण जाति जाट के द्वारा उमाशंकर आ0 जमनाशंकर जाति ब्राहम्ण को विकय किया गया। इसी प्रकार जलोदी की ही ख0सं0 709 रकबा 1 बीघा में से खातेदार द्वारा विकेता को 1/2 हिस्सा विकय किया गया। परन्तु ग्राम जलोदी के नामान्तकरण सं. 973 से विकय ख0सं0 662 एवं 709 एक ही नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया है। दोनो खसरो की अलग हिस्सा विकय होने से अलग नामान्तकरण दर्ज होने थे परन्तु अलग—अलग दर्ज नही होने से खाते में अशुद्वि हुई है।

पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार शुद्वि करने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सूनी गई।

प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अवगत कराया कि राजस्व रेकार्ड में राजस्व कार्मिको के द्वारा सहवन व गलती से नामान्तकरण दर्ज करते समय हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर अलग अलग दर्ज नही कर एक साथ दर्ज करने से त्रुटि हुई है। जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थी के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार नाम संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी संवत 2076 खाता सं0 नया 10 पुराना 10 ख0सं0 662 रकबा 3.1970 हैक्टे., ख0सं0 709 रकबा 0.1619 हैक्टे. वाके ग्राम वाके ग्राम जलोदी पटवार मण्डल बाजड, नामान्तकरण सं. 973 वाके ग्राम जलोदी, नकल जमाबन्दी खाता सं0 नया 10 पुराना 7 वाके ग्राम जलोदी संवत 2069 एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 5.7.2012 एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विकय पत्र दिनांक 5.7.2012 से ग्राम जलोदी के ख0सं0 662 रकबा 19.15 बीघा में सम्पूर्ण हिस्से में से 10/395 हिस्सा उच्छबलाल आ0 गोरण जाति जाट के द्वारा उमाशंकर आ0 जमनाशंकर जाति ब्राहम्ण को विकय किया गया। इसी प्रकार जलोदी की ही ख0सं0 709 रकबा 1 बीघा में से खातेदार द्वारा विकेता को 1/2 हिस्सा विकय किया गया। परन्तु ग्राम जलोदी के नामान्तकरण सं. 973 से विकय ख0सं0 662 एवं 709 का एक ही नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया है। दोनो खसरो की अलग हिस्सा विकय होने से अलग नामान्तकरण दर्ज होने थे परन्तु अलग-अलग दर्ज नही होने से खाते में अशुद्धि हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड,एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में यदि किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन एवं स्थगन आदेश नही हो तो खाता सं0 नया 10 पुराना 10 संवत् 2076 वाके ग्राम जलोदी में उमाशंकर का हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 5.7.2012 के आधार पर संशोधित किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा